



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय

सेक्टर-16ए, हॉल नं०-एस-1, वसुन्धरा काम्पलैक्स, वसुन्धरा
गाजियाबाद

भारतीय मानक ब्यूरो

IS 15700



पत्र सं०- 18580

/स0प्र0 गाजि0/

दिनांक- 28-10-16

अनन्तिम (Provisional)

बल्क सेल भूखण्ड हेतु प्रदेशन/आवंटन पत्र

सेवा में,

संशोधित प्रदेशन पत्र

M/s Environs Infrastructure Pvt. Ltd. (Relvant Member)
18190/135, First Floor, Shanti Nagar, Tri Nagar, Delhi-35
C/o M/s SAMS Real Estate Pvt. Ltd. (Lead Member)
Address:- B-173, IInd Floor, Durga Nagar, Devli Villages
Khanpur, New Delhi-110003

विषय:- सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में स्थित बल्क सेल भूखण्ड संख्या-4/बी0एस0-2 के विभाजन के फलस्वरूप क्षेत्रफल 12000.00 वर्गमी० के विरुद्ध धनराशि जमा कराकर कब्जा प्राप्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 15.9.2016 के सन्दर्भ में सूचित करना है कि आपके द्वारा किये गये अनुरोध पर सूचित करना है कि परिषद की सिद्धार्थ विहार योजना गाजियाबाद स्थित नवसृजित बल्क सेल भूखण्डों के निस्तारण हेतु विज्ञापनोपरान्त दिनांक 17.1.2014 को इच्छुक आवेदकों से आफर/बिड आमन्त्रित किये गये थे। जिसमें आपके द्वारा दिया गया आफर/बिड के परीक्षणोपरान्त बल्क सेल भूखण्ड संख्या-4/बी0एस0-02 (101175.00 वर्गमी० अर्थात् 25.00 एकड़) के लिए दी गयी रू०-38825.00 प्रतिवर्गमी० की उच्चतम बोली/आफर सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकार कर ली गयी है। जिसकी सूचना मुख्यालय के पत्र संख्या 144/स0प्र0-3 दिनांक 30.1.2014 द्वारा प्राप्त हुई है। जिसके कम में परिषद द्वारा निर्गत ब्रोशर में निर्धारित सामान्य नियम व शर्तों के अन्तर्गत कार्यालय पत्र संख्या-979/स0प्र0 गाजि० दिनांक 1.2.2014 से प्रदेशन/आवंटन पत्र निर्गत किया गया था। भूखण्ड के बीच से हाईटेन्शन लाईन गुजरने के कारण मुख्यालय के पत्र संख्या-2148/बल्क सेल /वा०नि०-5 दिनांक 21.8.2015 द्वारा भूखण्ड को दो भागों में विभाजित किये जाने जिसमें प्रथम फेस में एच०टी० लाईन का क्षेत्रफल एवं द्वितीय फेस में एच०टी० लाईन हटने के बाद शेष क्षेत्रफल का विकास आवंटन/ब्रोशर की नियम व शर्तों के अनुसार किये जाने के आदेश प्रदान किये गये हैं। जिसके कम में अधिशासी अभियन्ता नि०ख०-1 ने अपने पत्र दिनांक 479/डब्लू-12/37 दिनांक 30.4.2016 द्वारा हाईटेन्शन लाईन के क्षेत्रफल को कम करते हुए मुख्यालय के आदेशानुसार प्रथम फेस 52000.00 वर्गमी० क्षेत्रफल का साईट प्लान उपलब्ध कराया है। जिसके आधार पर पूर्व निर्गत प्रदेशन/आवंटन पत्र संख्या-979/दिनांक 1.2.2014 को कार्यालय पत्र संख्या-16005 दिनांक 20.9.2016 द्वारा संशोधित प्रदेशन पत्र जारी करते हुए धनराशि जमा कराने हेतु सूचित किया गया था, आपके उपरोक्त सन्दर्भित अनुरोध पर फेस-1 में विवाद रहित क्षे०-52000.00 वर्गमी० में 03 नग भूखण्डों में भूखण्ड संख्या-1 (क्षे०-14000.00 वर्गमी०), भूखण्ड संख्या-2 (क्षे०-12000.00 वर्गमी०), व भूखण्ड संख्या-3 (क्षे०-26000.00 वर्गमी०) सृजित करते हुए संशोधित ले-आउट दिनांक 21.8.2015 को विकसित की जानी वाली सुविधाओं सहित अनुमोदित किया गया है। उपरोक्त विभाजित भूखण्डों में से भूखण्ड संख्या-2 (क्षे०-12000.00 वर्गमी०) का प्रदेशन पत्र M/s Environs Infrastructure Pvt. Ltd. के पक्ष में जारी किये जाने का अनुमोदन अपर आवास आयुक्त महोदय ने दि० 23.9.2016 को नीलामी हेतु निर्गत ब्रोशर एवं संशोधित स्वीकृत ले-आउट में अंकित विकसित की जाने वाली सुविधाओं की शर्त के अधीन प्रदान किया गया है। कृपया निम्नानुसार विभाजित भूखण्ड सं०-2 (क्षे०-12000.00 वर्गमी०) की संशोधित धनराशि को निम्नानुसार जमा कराने का कष्ट करें:-

1	बल्क सेल भूखण्ड का संशोधित क्षेत्रफल 12000.00 वर्गमी०	
2	उच्चतम बोली रू०-38825.00 के अनुसार भूखण्ड का मूल्य (लीज रेंट सहित)	रू०- 46,59,00,000.00
3	(अ) प्रदेशन/आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 45 दिन के अन्दर स्वीकृत मूल्य की 15 प्रतिशत धनराशि रू०-6,98,85,000.00 जिसमें टोकन धनराशि रू०-2,31,00,000.00 संशोधित / विभाजित क्षेत्रफल के सापेक्ष में समायोजन होने के उपरान्त शेष धनराशि जोकि दिनांक 15.10.2016 तक जमा की जानी है। (ब) प्रदेशन/आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से 90 दिनों के अन्दर स्वीकृत मूल्य का 10 प्रतिशत धनराशि रू०-4,65,90,000.00 दिनांक 30.11.2016 तक देय होगी। (स) स्वीकृत मूल्य की शेष 75 प्रतिशत धनराशि रू०-34,94,25,000.00 की 15 प्रतिशत ब्याज सहित 10 छमाही किश्तें देनी होंगी। किश्त की धनराशि रू०-5,09,11,223.00 होगी, प्रथम किश्त दिनांक 01.12.2016 से देय होगी। देय किश्त का भुगतान 06 माह के अन्दर जमा करना होगा, देय किश्तों का भुगतान समयान्तर्गत नहीं किया जाता है तो 02 प्रतिशत की दर से छ माही कम्पाउन्डिंग करते हुए डिफाल्टेड समय का दण्ड ब्याज देय होगा, किसी भी किश्त का अधिकतम डिफाल्टेड समय 06 माह ही होगा, अधिकतम डिफाल्टेड समय तीन किश्तों तक अनुमन्य होगा।	रू०- 4,65,90,000.00 रू०- 5,09,11,223.00
4	विविध शुल्क विलेख निष्पादन शुल्क	रू०- 300.00
	साईट प्लान शुल्क	रू०- 500.00
	संशोधित लागत का विज्ञापन व्यय 0.25 प्रतिशत	रू०- 11,64,750.00
	कुल योग (दिनांक 30.11.2016 तक)	रू०- 11,65,550.00

कमश:2/-

उपरोक्त विवरण के अनुसार निर्धारित तिथि तक देय धनराशियों का भुगतान ओरियन्टल बैंक आफ कामर्स, मेवाड इन्स्टीट्यूट, 4 सेक्टर-4, वसुन्धरा शाखा, गाजियाबाद के परिषद खाता संख्या-52331171000104 (गुलाबी पर्ची) में बैंक ड्राफ्ट (उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद के पक्ष में देय) के माध्यम से (बैंक कार्यदिवसों में) अवश्य जमा करानी होगी एवं किसी भी धनराशि के विलम्ब से भुगतान करने पर 19 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज पूर्ण माह का देय होगा। प्रदेशन पत्र के अनुसार प्रथम वांछित 25 प्रतिशत की धनराशि निर्धारित तिथि तक अवश्य जमा करानी होगी, निर्धारित तिथि तक धनराशि जमा न होने पर भूखण्ड का प्रदेशन नियमानुसार कटौती करते हुए निरस्त कर दिया जायेगा। शेष नियम व शर्तें निम्नवत् हैं -

- अ. प्रदेशन/आवंटन पत्र निर्गत होने के 90 दिनों के अन्दर 25 प्रतिशत धनराशि एवं विविध शुल्क की धनराशि उपरोक्तानुसार जमा करानी होगी एवं तत्पश्चात् 60 दिनों के अन्दर किश्त किराया कय अनुबन्ध हेतु अन्य औपचारिकताये पूर्ण करने के उपरान्त कब्जा देय होगा। किश्त किराया कय अनुबन्ध/विकय विलेख हेतु उ0प्र0 शासन द्वारा निर्धारित स्टाम्प शुल्क क्रेता द्वारा स्वयं वहन करना होगा।
- ब. सम्पत्ति लीज पर आवंटित है, ब्रोशर में अंकित शर्तों के अनुसार निर्माण कार्य पूर्ण करने एवं समस्त जन सुविधायें विकसित कर एवं ब्रोशर में अंकित अन्य शर्तें पूर्ण करने के उपरान्त कुल भूमि मूल्य का 02 प्रतिशत फ्री होल्ड शुल्क जमा कराकर विकासकर्ता सम्पत्ति को फ्रीहोल्ड करा सकेगा।
- स. भूखण्ड का कब्जा प्राप्त करने के पश्चात् मानचित्र स्वीकृत कराया जा सकेगा। मानचित्र स्वीकृत के पश्चात् आवंटी परिषद के भवन निर्माण उपविधि/समाचार पत्र में विज्ञप्ति एवं परिषद नियमानुसार एफ0ए0आर0/ग्राउण्ड कवरेज व भूखण्ड पर योजना प्रकाशित करने का अधिकार होगा। परिषद से विकय विलेख निष्पादित कराने से पूर्व किसी भी क्रेता को विकय की गयी सम्पत्ति (दुकान/भवन, जो लागू हो) हस्तान्तरित नहीं कर सकेगा। परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर बल्क सेल भूखण्ड पर निर्माण कराने हेतु अनुमत्य अवधि कब्जा प्राप्त करने की तिथि से पांच वर्ष है।
- द. विद्युत/ट्रांसफार्मर का व्यय स्वयं क्रेता को व्यय करना होगा।
- य. भूखण्ड का क्षेत्रफल अनुमानित है। ब्रोशर की शर्त के अनुसार घट-बढ़ सकता है।
- र. केन्द्र सरकार/उ0प्र0 सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा लागू कर जैसे सर्विस टैक्स, आयकर, जलकर एवं अन्य कर क्रेता को स्वयं वहन करना होगा।
- ल. सम्पत्ति का मूल्य ₹0-50.00 लाख से अधिक होने की दशा में जमा की जाने वाली एकमुश्त/किश्त की धनराशि में से 01 प्रतिशत की दर से टी0डी0एस0 की कटौती कर क्रेता द्वारा परिषद के पेन नम्बर-AAAJU0103A में जमा कर दोनों रसीदे कार्यालय में समयान्तगत जमा करेगा। यदि आवंटी द्वारा टी0डी0एस0 की धनराशि विलम्ब से जमा की जाती है तो देय तिथि से जमा की तिथि तक आयकर विभाग द्वारा निर्धारित ब्याज की दरों के अनुसार आगणित कर कुल देय धनराशि परिषद के उक्त पेन नम्बर पर जमा कराया जायेगा। दण्ड ब्याज की देनदारी परिषद की नहीं होगी।
- व. आवंटित भूमि के सम्बन्ध में मा0 सक्षम न्यायालयों द्वारा समय-समय पर यदि कोई निर्णय पारित किये जाते हैं तो उनका अनुपालन उभयपक्ष को करना होगा।
- प. सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने हेतु इस पत्र पर नीचे अंकित सभी प्रपत्र दिनांक 30.11.2016 तक इस कार्यालय में जमा कर किश्त किराया अनुबन्ध निष्पादित कराना होगा, अन्यथा ₹0-300.00 प्रतिदिन की दर से सम्पूर्ण प्रपत्र जमा कराने की तिथि तक विलम्ब शुल्क देय होगा। कब्जा पत्र निर्गत होने के 30 दिन के अन्दर भौतिक कब्जा न लेने पर ₹0-300.00 प्रतिदिन की दर से भौतिक कब्जा लेने की तिथि तक रख-रखाव शुल्क भी देय होगा।
- फ. उक्त के अतिरिक्त समय-समय पर शासन/परिषद द्वारा बनाये गये नियम व शर्तें आवंटन की तिथि से प्रभावी होंगे एवं क्रेता को मान्य होंगे।
- ब. टू-बिड से नीलामी हेतु निर्गत ब्रोशर में अंकित नियम व शर्तों के अतिरिक्त जो प्राविधान उपलब्ध नहीं है, में उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद नीलामी सम्बन्धी विनियमावली एवं प्रदेशन सम्बन्धी विनियमावली 1980 यथा संशोधित फरवरी 1993 के प्राविधान लागू होंगे।
- म. टू-बिड से नीलामी हेतु निर्गत ब्रोशर में अंकित समस्त नियम व शर्तें आवंटी पर लागू होगी तथा इन नियम व शर्तों में संशोधन/आंशिक संशोधन किये जाने का अधिकार आवास आयुक्त महोदय में निहित होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में आवास आयुक्त महोदय का निर्णय अंतिम एवं स्वीकार्य होगा। शेष नियम व शर्तें पूर्व निर्गत प्रदेशन पत्र के अनुसार पूर्ववत् रहेगी।

भवदीय

उप आवास आयुक्त
कृते आवास आयुक्त

आवंटी द्वारा दिनांक 30.11.2016 तक इस कार्यालय में जमा करने वाले प्रपत्रों की सूची :-

1. कब्जे से पूर्व भूखण्ड के कुल मूल्य का 07 प्रतिशत स्टाम्प ड्यूटी अथवा शासनादेश के अनुसार लागू स्टाम्प ड्यूटी एवं ₹0-100.00 का स्टाम्प पेपर जमा करें। स्टाम्प पेपर की गणना समय-समय पर शासन के आदेशानुसार परिवर्तनीय है।
2. स्टाम्प पेपर कोषाधिकारी गाजियाबाद से निर्गत ही मान्य होंगे।
3. अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड-01 उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, वसुन्धरा गाजियाबाद के कार्यालय से 05 नग साईट प्लान प्राप्त कर जमा करायें।
4. राजपत्रित अधिकारी से दो फोटो एवं हस्ताक्षर प्रमाणित कराकर जमा करें। कम्पनी/संस्था की दशा में प्रभार प्रमाण पत्र भी जमा कराना होगा।



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता, नि०ख०-प्रथम
वसुन्धरा काम्पलैक्स, वसुन्धरा गाजियाबाद

भारतीय मानक ब्यूरो

IS 15700



पत्र सं०-

/ /

दिनांक-

भौतिक कब्जा पत्र

सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी, गाजियाबाद के प्रदेशन पत्र संख्या- 18580 / स०प्र० गाजि० / दिनांक- 27.10.2016 तथा कब्जा पत्र संख्या-1932 / स०प्र० गाजियाबाद / दिनांक 23.02.2017 द्वारा प्राप्त प्रमाणित हस्ताक्षर एवं फोटो के आधार पर वसुन्धरा, योजना गाजियाबाद के सेक्टर-4 में स्थित बल्क से भूखण्ड संख्या-4 / बी०एस०-2 / 2 का भौतिक कब्जा दिनांक 04.03.2017 में श्री नवरंग कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार को दिया गया। भूखण्ड का कुल क्षेत्रफल 12000.00 वर्गमीटर है। भूखण्ड की स्थल पर स्थिति निम्नवत् है:-

सामने :	96.065 मीटर	कुल आवंटित क्षेत्रफल =	12000.00 वर्ग मीटर
पीछे :	96.065 मीटर	मा० उच्च न्यायालय के स्थगन आदेश से प्रभावित क्षेत्रफल =	187.00 वर्ग मीटर
दायें :	124.916 मीटर	कब्जा हेतु उपलब्ध कुल क्षेत्रफल =	11813.00 वर्ग मीटर
बाँये :	124.916 मीटर		

नोट:- मा० उच्च न्यायालय, इलाहाबाद से वाद संख्या-14959 / 06 यू०पी०ए०वी०पी० बनाम जय भगवान में 187.00 वर्ग मीटर क्षेत्रफल पर स्थगन आदेश प्रभावी होने के कारण इस क्षेत्रफल के कब्जे की कार्यवाही मा० उच्च न्यायालय के अन्तिम निर्णय के उपरान्त की जायेगी।

Envyrons Infrastructure Pvt. Ltd.

Naranga
Director

आवंटी/कब्जा प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

नाम-श्री नवरंग कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार

पता- M/s ENVYRONS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED,
R/o 94, 2nd Floor R.B.I. Colony, Paschim Vihar, New Delhi-110063
Registered office at G-56, BASEMENT, PUSHKAR ENCLAVE
PASCHIM VIHAR, NEW DELHI 110063.

कब्जा देने वाले के हस्ताक्षर

नाम :- (रामकृष्ण गुप्ता)

पदनाम: अवर अभियन्ता

SP
04/03/17

काउन्टर हस्ताक्षर

नाम :- (एस.के. शुक्ला)

पदनाम:- सहायक अभियन्ता

घोषणा:- प्रमाणित किया जाता है कि मैने उक्त बल्क सेल भूखण्ड संख्या- 4 / बी०एस०-2 / 2 जोकि सिद्धार्थ विहार योजना, वसुन्धरा, गाजियाबाद में स्थित है, का स्थल निरीक्षणपरांत दिनांक 01.03.2017 को भौतिक कब्जा पूर्ण संतुष्टि सहित प्राप्त कर दिया है। भूखण्ड में कोई कमी नहीं है तथा अब इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व मेरा होगा।

Envyrons Infrastructure Pvt. Ltd.

हस्ताक्षर

नाम: श्री नवरंग कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार

Naranga
Director

पत्रांक ११० / P.P-40 / 33 दिनांक ०७/०३/१७

प्रतिलिपि:-

1. श्री नवरंग कुमार पुत्र श्री कृष्ण कुमार, पता- M/s ENVYRONS INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED, R/o 94, 2nd Floor R.B.I. Colony, Paschim Vihar, New Delhi-110063
Registered office at G-56, BASEMENT, PUSHKAR ENCLAVE
PASCHIM VIHAR, NEW DELHI 110063.
2. सम्पत्ति प्रबन्ध अधिकारी, उ०प्र० आवास एवं विकास परिषद, गाजियाबाद।
3. सहायक अभियन्ता के रिकार्ड हेतु।
4. अवर अभियन्ता के रिकार्ड हेतु।
5. खण्ड कार्यालय की पत्रावली हेतु (सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय के पत्रांक 1530 / स०प्र० गाजि० / दिनांक 06.02.2017 सहित)।

अधिशासी अभियन्ता



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद

सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय

सेक्टर-16ए, हॉल नं०-एस-1, वसुन्धरा काम्पलैक्स,
वसुन्धरा गाजियाबाद

पत्र सं०-

/ स०प्र० गाजि० /

दिनांक-

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि परिषद के सिद्धार्थ विहार योजना, गाजियाबाद में भूखण्ड संख्या-4 बी०एस०-2/2 मै० इनवायरन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा०लि० के पक्ष में आवंटित है। लीज अनुबन्ध निष्पादित कराकर दिनांक 07.03.2017 को भौतिक कब्जा हस्तगत किया गया है। कार्यालय पत्र संख्या 2281/दिनांक 15.06.2023 द्वारा दिनांक 31.10.2022 को अवशेष धनराशि रू० 65,49,49,484.00 की 9.35 प्रतिशत की दर से 18 छमाही किश्ते बनायी गयी है, जिसकी प्रथम किश्त दिनांक 01.11.2022 से अन्तिम / 18वीं किश्त दिनांक 31.05.2031 तक बनायी गयी है, जिसमें संस्था द्वारा प्रथम एवं द्वितीय किश्त का भुगतान कर दिया गया है, दिनांक 22.09.2024 तक देय किश्तों के विरुद्ध ब्याज सहित धनराशि रू० 11,16,12,710.00 अवशेष है, जिसका भुगतान दिनांक 31.10.2024 तक किया जा सकता है।

यह प्रमाण पत्र संस्था के आवेदन पत्र दिनांक 18.09.2024 के क्रम में UPRERA के समक्ष PROJECT रजिस्ट्रेशन के लिए निर्गत किया जा रहा है।

(नृपेन्द्र बहादुर सिंह)

सम्पत्ति प्रबन्धक

पृ०सं० 3144

/

/

दिनांक 23/9/24

प्रतिलिपि:-

1. श्री नवरंग कुमार, डायरेक्टर, पुत्र श्री कृष्ण कुमार, निवासी-जे-94, सेकेंड फ्लोर, रिजर्व बैंक एन्क्लेव, पश्चिमी विहार, नई दिल्ली को उनके आवेदन पत्र दिनांक 18.09.2024 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

23/9/24
सम्पत्ति प्रबन्धक
सम्पत्ति प्रबन्धकउ०प्र० आवास एवं विकास परिषद
वसुन्धरा, गाजियाबाद



INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh



IN-UP70308186253340W

e-Stamp

MOHAMMAD SALMAN ALI
Licence No: Stamp Vendor
UP140909174
Mobile No.: 9958843095

Base Certificate No. : IN-UP70307814783962W
Certificate No. : IN-UP70308186253340W
Certificate Issued Date : 05-Jun-2024 09:46 AM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14090904/ GHAZIABAD SADAR/ UP-GZB
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1409090436974451287363W
Purchased by : ENVYRONS INFRASTRUCTURE PVT LTD
Description of Document : Article 4 Affidavit
Property Description : Not Applicable
Consideration Price (Rs.) :
First Party : ENVYRONS INFRASTRUCTURE PVT LTD
Second Party : Not Applicable
Stamp Duty Paid By : ENVYRONS INFRASTRUCTURE PVT LTD
Stamp Duty Amount(Rs.) : 100
(One Hundred only)



Please write or type below this line

AFFIDAVIT CUM DECLARATION

I, **Navrang Kumar S/o Krishan Kumar Mittal**, authorized representative of Envyrons Infrastructure Private Limited, a company registered under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at G-56, Basement Pushkar Enclave, Paschim Vihar, Delhi-110063 (hereinafter referred to as "**Company**") do hereby solemnly affirm and declare as under:

1. That the Deponent undertakes that the above-mentioned details are true and correct to my knowledge.
2. That the Company desires to undertake the development and construction of the proposed project namely 'Vaastu Homes' on a plot bearing No. 04/BS-02/02, Siddharth Vihar, Ghaziabad, Uttar Pradesh which is being allotted to the Company by UP Avas Evam Vikas Parishad Ghaziabad ("**UPAVP**").

Navrang Kumar



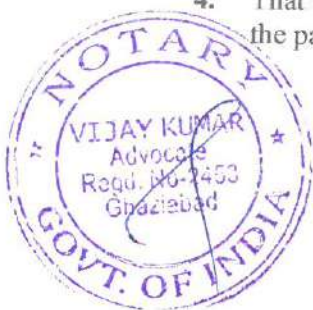
Statutory Alert:

1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shreestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding.
2. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
3. The cost of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
4. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

3. The Company undertakes to pay the land dues by 31.07.2028 to UPAVP in the following manner which is five (5) months before the project completion date i.e., 30.12.2028.

Sl. No.	Installment Number	Expected date	Amount to be Paid (In Indian Rupees)
1.	1	Paid	5,46,16,238/-
2.	2	Paid	5,46,16,238/-
3.	3	31.10.2024	5,46,16,238/-
4.	4	30.04.2025	5,46,16,238/-
5.	5	31.10.2025	5,46,16,238/-
6.	6	30.04.2026	5,46,16,238/-
7.	7	31.10.2026	5,46,16,238/-
8.	8	31.10.2026	5,46,16,238/-
9.	9	30.04.2027	10,92,32,476/-
10.	10	31.10.2027	10,92,32,476/-
11.	11	30.04.2028	16,38,48,714/-
12.	12	31.07.2028	16,38,48,714/-
Total Amount			98,30,92,284/-

4. That the Deponent hereby submits and declares that the Company will adhere to the timeline for the payment to be made to UPAVP for the land dues.



Nanayghm
DEPONENT

VERIFICATION

I, the above named deponent, do hereby solemnly verify and confirm that the contents of the affidavit are true and correct as per my knowledge and belief and no part of it is false and nothing is concealed there from.

Verified at Ghaziabad, Uttar Pradesh on June 07, 2024.

Nanayghm
DEPONENT

ATTESTED
[Signature]
VIJAY KUMAR
Regd. No-2453
Notary Ghaziabad

7 JUN 2024